(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

RJ 4043-PBR-16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरावलोकन

शहर काजी खलीलउल्लाह पिता नसरूल्लाह काजी

निवासी–सीतामऊ, जिला–मन्दसौर

विरूद्ध

श्री ... द्वारा आज दि 30.11.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.11.16
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

1. जमीरउल्लाह पिता जहुरउल्लाल
2. अनवारउल्लाह पिता जहुरउल्लाल
3. दिलबर पिता जहुरउल्लाल
4. जहुरउल्लाह पिता नूरउल्लाल

निवासीगण ग्राम काजीवाड़ा घाटी सीतामऊ

जिला–मन्दसौर

633
01-12-16

अध्यक्ष राजस्व मण्डल द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3359–तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 17/08/2016 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4043–पीबीआर/16 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3359–तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 17–8–16 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	